मु.नं.—35 / 2020 GCMS ID-2020/00066 ता.रजु—02.09.2020

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.

संगीता मीना पत्नि डॉ. दर्शन लाल मीना ग्राम मोंगेपुरा, पोस्ट मोंगेपुरा, तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.) 322251 — अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली — प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक—05.05.2022

1. प्रशासनिक कार्यों, पंचायत आम चुनाव 2021 व कोविड नियंत्रण की व्यवस्थाओं में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 4 की पालना से संबंधित कुल 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की गई है।
5. प्रत्यर्थी ने पत्रांक सू.अ.अ. / 2020 / 451 दिनांक 09.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2020 उनके कार्यालय में दिनांक 26.06.2020 को प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय में संधारित नहीं थी। इस बाबत् अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 383 दिनांक 30.07.2020 द्वारा सूचित कर दिया गया था। प्रत्यर्थी कार्यालय में सूचना संधारित किये जाने पर प्रत्यर्थी द्वारा पुनः पत्र क्रमांक 1058—1059 दिनांक 29.03.2022 द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में संधारित नहीं होने पर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 383 दिनांक 30.07.2020 द्वारा सूचित कर दिया गया था। पुनः प्रत्यर्थी द्वारा अपने कार्यालय में सूचना संधारित कर लिये जाने के उपरांत अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1058—1059 दिनांक 29.03.2022 द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है। उक्त सूचना पर प्रत्यर्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। अतः हम अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
8. अस्तु अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली